भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोकसभा
तारांकित प्रश्न सं. *309
जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

छोटे व्यापारियों/रेहड़ी-पटरी वालों को जीएसटी नोटिस

***309 डॉ. के. सुधाकर**:
श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक सहित देशभर में छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों के व्यावसायिक कार्यकलापों का आकलन किए बिना उनको जीएसटी नोटिस जारी किए हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार की ऐसे नोटिस वापस लेने और यूपीआई लेनदेन पर नोटिस के कारण ऐसे व्यापारियों/विक्रेताओं को होने वाली परेशानी का समाधान करने की योजना/प्रस्ताव है;
(घ) क्या कर्नाटक में जीएसटी का अपवंचन हो रहा है, यदि हाँ, तो राज्य में पकड़े गए इन अपवंचनों की कुल मात्रा/संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या ऐसे अपवंचन जीएसटी विभाग की प्रणालीगत खामियों के कारण होते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्नाटक को होने वाली जीएसटी के अनुमानित नुकसान का ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी संबंधी अनुपालन को सरल बनाने और उनके नियामक बोझ को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

लोक सभा के दिनांक 11 अगस्त, 2025 के तारांकित प्रश्न सं. *309 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ख): जी नहीं, केंद्रीय जीएसटी प्राधिकारियों ने यूपीआई लेनदेन के आधार पर कोई नोटिस जारी नहीं किया है।

(ग): उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(घ): कर्नाटक राज्य से संबंधित केंद्रीय कर संरचनाओं द्वारा जीएसटी चोरी के मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

अवधि	मामलों की संख्या	पता लगाए गए (रुपये करोड़ में)	स्वैच्छिक भुगतान (रुपये करोड़ में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
2022-23	959	25839	1705	2
2023-24	925	7202	1197	2
2024-25	1254	39577	1623	9

(ङ): जी नहीं।

(च): जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लघु व्यवसाय क्षेत्र के लाभ के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनमें शामिल हैं: -

(1) व्यापार की सुविधा के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों को जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है: -

(i) वस्तुओं की अंतर-राज्यीय कर योग्य आपूर्ति में शामिल व्यक्ति, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कुल कारोबार 40 लाख रुपये (कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 20 लाख रुपये) से अधिक नहीं है;

(ii) सेवाओं की अंतर-राज्य या अंतर-राज्यीय कर योग्य आपूर्ति में शामिल व्यक्ति, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कुल कारोबार 20 लाख रुपये (कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 लाख रुपये) से अधिक नहीं है।

(2) जीएसटी में कंपोजिशन लेवी योजना कर लगाने की एक वैकल्पिक विधि है, जो छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए बनाई गई है, जिनका टर्नओवर निर्धारित सीमा तक है। वस्तुओं के व्यापारियों और वस्तुओं के निर्माताओं द्वारा आपूर्ति पर 1% (सीजीएसटी अधिनियम के तहत 0.5% और संबंधित एसजीएसटी अधिनियम के तहत 0.5%) की एक समान दर से कर देय है, तथा रेस्तरां द्वारा आपूर्ति पर प्रत्येक अधिनियम के तहत 2.5% कर देय है।

(3) सभी पात्र पंजीकृत व्यक्ति जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये तक है, वे कर के मासिक भुगतान के साथ त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने का विकल्प चुन सकते हैं।

(4) 2 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाले छोटे करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2023-24 तक के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करना वैकल्पिक बना दिया गया है।

*****